

62
24

पत्रावली पेश हुई। पार्थी व वकील पार्थी
उपस्थित नहीं। इनके अनुपस्थिति रहने के कारण पार्थी
पत्र से संबंधित कुल द्वावा अहम चरकी अहम हादरी में
खारिज हो चुका है। जिससे यह पार्थी-पत्र भी अण
अणो-चलने योग्य नहीं है।

अतः यह पार्थी-पत्र भी इसी स्वर
पर खारिज किया जाता है। पत्रावली निर्णय वैशुमार की जावे
तथा तर्तीय तकमिल की जाकर दक्षिण एफसर की जावे।

↓